

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 543 / 15

संस्थापन दिनांक:-07 / 09 / 15

फाईलिंग नं. 233504003342015

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

रजनीश पिता कल्लू कापसे  
उम्र 25 वर्ष, निवासी डुटमुर,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

—: (नि र्ण य ) :-

**(आज दिनांक 24.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.08.2015 को समय सुबह 08:00 बजे ग्राम डुटमुर प्रार्थी की बाड़ी के पीछे थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी राजू पुरी गोस्वामी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी राजू पुरी गोस्वामी को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 24.08.2015 को सुबह 8 बजे उसकी बाड़ी में कचरा साफ कर वापस घर ओरतिन के नीचे से आ रहा था तभी अभियुक्त ने उसे ओरतिन से जाने के लिए मना किया जिस पर उसने कहा कि उसकी जगह है इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे गंदी गंदी मादरचोद बहनचोद की गाली बककर डंडे से मारपीट की जिससे उसके सिर में कपाल में चोट लगी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 458/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी राजू पुरी गोस्वामी और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजू पुरी गोस्वामी को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

5 राजू पुरी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। इस संबंध में साक्षी संगीताबाई (अ.सा.-2) ने भी व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसके पति को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी राजू पुरी (अ.सा.-1) एवं संगीताबाई (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल

गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

8 राजू पुरी (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने उसके सिर पर एवं कंधे और कमर पर लकड़ी से मारा था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसका डॉक्टर मुलाहिजा और एक्सरे हुआ था। संगीताबाई (अ.सा.-2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने लकड़ी से उसके पति के सिर, कंधे व कमर पर मारा था जिससे उसके पति को चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 24.08.2015 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत राजू पुरी का परीक्षण किये जाने पर उसने आहत के सिर के बांयी तरफ 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. एवं बांये कंधे पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द होना तथा उक्त चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-4) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने दिनांक 04.09.2015 को आहत की एक्सरे प्लेट क्र. 12850 का परीक्षण किया था जिसमें उसने कोई अस्थिभंग नहीं पाया था। साक्षी ने एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित भी किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी राजू पुरी (अ.सा.-1) एवं संगीताबाई (अ.सा.-2) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत के द्वारा बताये गये स्थान पर चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 रेवाराम (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 02.08.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 458/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 24.08.2015 को अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति हेतु (प्रदर्श प्री-5) का सूचना पत्र दिया जाना तथा उक्त दिनांक को घटना में प्रयुक्त लकड़ी न मिलने पर (प्रदर्श प्री-6) का पंचनामा तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क है कि** प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी राजू एवं संगीता पति पत्नी होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा फरियादी की अभियुक्त से पूर्व से रंजिश है। अतः साक्षीगण के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में दुर्गा (अ.सा.-3) ने अभियोजन कथा का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं परंतु यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षी के अभियोजन का समर्थन न करने से संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है।

13 **बचाव अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि** प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार जब फरियादी ओरतिन के नीचे से आ रहा था तब उस जगह से आने की बात पर से विवाद हुआ था। जबकि न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी ने बाड़ी में विवाद होने की बात बतायी है। किस जगह पर घटना हुई उसके संबंध में फरियादी के कथनों में विसंगति है जो कि उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि फरियादी राजू पुरी (अ.सा.-1) ने घर के पीछे बनी बाड़ी में विवाद होने की बात बतायी है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ओरतिन के नीचे से जाते समय विवाद होना लेख है परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार और साक्षी के कथनानुसार झगड़ा जमीन के विवाद को लेकर हुआ। तब ऐसी स्थिति में मात्र झगड़ा बाड़ी या ओरतिन के नीचे हुआ साक्षी के कथनों में इस संबंध की विसंगति तात्त्विक न होने से उसका अभियोजन कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

14 राजू पुरी (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के समय बाड़ी से कचरा उखाड़ने की बात पर से अभियुक्त द्वारा उसे लकड़ी से मारपीट किया जाना बताया है तथा घटना अपनी पत्नी संगीता के द्वारा देखा जाना भी बताया है। संगीता (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा बाड़ी पर से कचरा उखाड़ने की बात पर से उसके पति राजू के साथ मारपीट किया जाना बताया है। उपर्युक्त दोनों साक्षी प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित हैं। साक्षीगण ने अभियोजन कथा के अनुरूप ही न्यायालय में कथन किये हैं। जहां तक उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तर्क है वहां यह उल्लेखनीय है कि रंजिश जहां एक ओर झूठा फंसाये जाने का आधार हो सकती है वहीं दूसरी ओर मारपीट का हेतुक भी हो सकती है। फरियादी राजू (अ.सा.-1) की साक्ष्य की संपुष्टि संगीता (अ.सा.-2) के कथनों से एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से

होती है। घटना दिनांक 24.08.2015 की सुबह 8 बजे की है तथा फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही घटना के तत्काल पश्चात 11:35 बजे लेख करायी गयी है, तब ऐसी दशा में मिथ्या कहानी गढ़ने की संभावना भी परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की गयी थी।

15 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी राजू पुरी (अ.सा.-1) के साथ मारपीट की जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी राजू पुरी गोस्वामी और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजू पुरी गोस्वामी को डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त रजनीश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

17 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

18 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह

अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 900/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

21 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि आहत राजू पुरी पिता मोहनपुरी, निवासी दुटमुर, थाना आमला जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23 दं०प्र०सं० की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

